# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 46/2024 G.C.M.S. No. 2024/318 दर्ज दिनांक : 26.06.2024**

**अपीलार्थिगण:**

1. मानसिंह वल्द उदीया
2. लक्ष्मी पत्नि वजेसिंह, कौम रावणा राजपूत, निवासीगण माण्डवला, तहसील व जिला जालोर।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. मोवन पुत्र रूपा मेघवाल
2. मणीदेवी पत्नि रूपा मेघवाल
3. पकाराम पुत्र जगदीश मेघवाल
4. दानाराम पुत्र जगदीश मेघवाल
5. केसीदेवी पत्नि जगदीश मेघवाल

**प्रफॉर्मा पक्षकार:-**

6. जीवनसिंह वल्द वजेसिंह,
7. राजूसिंह वल्द वजेसिंह
8. सूरजसिंह वल्द उदीया, समस्त जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण माण्डवला, तहसील व जिला जालोर।
9. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील जालोर व जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2022 बअनवान मानसिंह बनाम मोवन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024**

**पैरोकार:-**

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, मुकेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री भंवरलाल सोलंकी, श्री पंकज सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

## निर्णय

**दिनांक: 29.05.2026**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2022 बअनवान मानसिंह बनाम मोवन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स प्रार्थीगण ने मौजा माण्डवला तहसील जालोर में अपने खेत, बेरा में जाने के लिए व आने के लिए अन्य लघुतम दूरी का रास्ता नहीं होने से लघुतम दूरी वाला रास्ता रेस्पोंडेंट्स/अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नंबर 1030, 1031 में से उनकी माठ पर 12 फुट चौड़ा रास्ता अपने खेत बेरा खसरा नंबर 1032 गैरमुमकिन बेरा रकबा 0.01 हैक्टेयर व 1033 रकबा 1.63 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर में से जाने के लिए मांगा। बेरे पर हमारे परिवार के करीब 10–15 लोग व 10–12 मवेशी रहते हैं। बेरा चालू हालत में हैं। आवागमन के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं, फिर भी सरसरी तौर पर खसरा नंबर 1034 में रास्ता उपलब्ध होना मानते हुए मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 1034 की नकल जमाबंदी का अवलोकन ही नहीं किया है। खसरा नंबर 1034, 1035, 1036 व 1037 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर चंदनसिंह वगैरह निजी खातेदारी है, जो इसमें पक्षकार ही नहीं हैं। खसरा नंबर 1034 नक्शे में आकृति लंबाई में हैं, वह उनकी निजी खातेदारी व निजी रास्ता है। इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, उनके बेरे पर विद्युत कनेक्शन की डी.पी. लगी हुई हैं, उनका मकान बना हुआ है एवं खसरा नंबर 1036 भी खसरा नंबर 1034 ही हैं। जिसमें भी गैर मुमकिन खसरा नंबर 1036 भी खसरा नंबर 1034 में जिसमें भी गैरमुमकिन सड़ा रहवासी मकान है। उसमें रास्ता प्रदान करना फिजीबल नहीं हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट में खसरा नंबर 1034 में प्रार्थी को रास्ते के रूप में आवागमन नहीं करने दे रहे हैं। अतः प्रार्थी के लिए रास्ते का अभाव साबित है। अपीलांट द्वारा जिस भूमि से रास्ता प्रदान करने का अनुतोष चाहा है, उक्त भूमि खुली भूमि हैं एवं उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हैं। उक्त परिस्थितियों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलांट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु अप्रार्थी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2024 द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1032, 1033 के लिए पहुंच मार्ग हेतु रास्ते की मांग की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। प्रकरण में भू.अ.नि. से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू.अ.नि. की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1032 व 1033 तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1030 व 1031 की पश्चिम सीमा के सहारे खसरा संख्या 1840 गैर मुमकिन रास्ता से प्रार्थी की आराजी तक रास्ता की मांग की गई एवं भू.अ.नि. द्वारा इसके अनुरूप रास्ता प्रस्तावित किया गया। साथ ही खसरा संख्या 1030, 1031 व 1033 के समानांतर पश्चिम में स्थित खसरा संख्या 1034 जो किस्म गैर मुमकिन है तथा खातेदारी भूमि हैं, जिसका संबंधित खातेदारान द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1034 की आराजी पतली पट्टी के रूप में हैं। जो खसरा संख्या 1840 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 1030, 1031 व 1033 के समानांतर विस्तारित है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु खसरा संख्या 1034 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा नियमानुसार रास्ता खुलवाने की कार्यवाही अपेक्षित होने एवं रास्ते का अभाव नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

पूर्व विवेचित बिंदु संख्या 2 के विवेचन, भू.अ.नि. की रिपोर्ट, भू–नक्शा व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं हैं। अर्थात रास्ते की मांग महज सुविधा के लिए नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। खसरा संख्या 1034 जिसकी किस्म गैर मुमकिन है तथा उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक भूमि नहीं होकर खातेदारान की खातेदारी में दर्ज गैर मुमकिन भूमि हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की आराजी तक खसरा संख्या 1034 की भूमि को पहुंच मार्ग के रूप में उपलब्ध होना नहीं माना जा सकता एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में भू–अभिलेख का अवलोकन किए बिना विनिश्चय करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि स्वीकार योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षित था कि प्रकरण में खसरा संख्या 1034 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित करवाने के लिए प्रार्थीगण को निर्देशित करते हुए अवसर प्रदान किया जाता, ताकि प्रभावित खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जा सकता एवं प्रार्थीगण को पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाया जा सकता। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया गया। लिहाजा, अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2022 बअनवान मानसिंह बनाम मोवन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा संख्या 1034 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित करते हुए इसी अनुरूप अपीलांट प्रार्थीगण से संशोधित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अप्रार्थीगण की समुचित तलबी करवाते हुए जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन उपखंड अधिकारी जालोर में दिनांक 20.07.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली